रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 477] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 1997/अग्रहायण 11, 1919
No. 477] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 1997/AGRAHAYANA 11, 1919

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1997

सा. का. नि. 683(अ).—केन्द्रीय सरकार, दूर संचार विनियामक अधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।

2. (क) अध्यक्ष प्रति मास 9,000/-रु. (पूर्व पुनरीक्षित) वेतन प्राप्त करेगा, और

(ख) सदस्य प्रतिमास 8,000/-रु. (पूर्व पुनरीक्षित) वेतन प्राप्त करेगा।

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदों या अन्य रूपों में सेवानिवृत्ति फायदों को प्राप्त कर रही है या जिसने प्राप्त किए है या जो प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है, जैसे मध्यम या सदस्य का वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली पेंशन या अभिदायी भविष्यि निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदों (उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर), यदि कोई हो, की सकल रकम को घटा दिया जायगा।

3. **महंगाई भत्ता**

अध्यक्ष और सदस्य, केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन लेने वाले समूह "क" अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।

परन्तु यदि किसी सेवानिवृत्ति व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन लेने वाले समूह "क" अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेगा, किन्तु ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके पद धारण करने की अवधि के दौरान पेंशन के संबंध में महंगाई राहत का संदाय निलंबित रहेगा।

[फा. सं. 1-1- 94-टी सी ओ (जिल्द-IX)]

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 1997

G. S. R. 684 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994, the President hereby makes the following rules further to amend the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 8-9-1995.

2. In the Finance Commission for the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, in rule 7 after sub-rule (2), the following Explanation shall be inserted, namely:—

"EXPLANATORY MEMORANDUM—It is clarified that the provisions of sub-rule (2) does not adversely affect any of the employees of the Finance Commission of the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands by its retrospective effect.

[F. No. U-11022/1/94-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

NOTE: The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 626(E) dated 8-9-95 and subsequently amended vide number GSR 28(E) dated 12-1-96, GSR 228(E) dated 28-5-96 and GSR 307(E) dated 5-6-97.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997